न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार, आई ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./35/2025/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. अजा पुत्र सोना 2. अमरा पुत्र सोना 3. देवाराम पुत्र सोना 4. कुष्ण पुत्र हरजी 5. खुशाला पुत्र हरजी 6. भीमा पुत्र हरजी फौत के का. मु.— 6/1. सरूपाराम पुत्र भीमा 6/2.खेताराम पुत्र भीमा, अपीलांट सख्या 6/1 व 6/2 नाबालिग जरिये सरक्षक कुदरती वली माता सुआदेवी पत्नी भीमाराम 6/3.सुआदेवी पत्नी भीमाराम 7. लूणा पुत्र हरजी 8. दिनेश पुत्र मोडूराम, जाति मेगवाल, निवासी सीलू, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।	1. बाबूलाल पुत्र भूराराम, जाति जटिया, निवासी जटियों का वास नया नगर, तह. गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर। 2. चैला पुत्र सोना 3. पीराराम पुत्र सोना 4. बुधराम.पुत्र सोना फौत के का. मु.— 4/1. पंकज कुमार पुत्र बुधाराम 4/2. कैलाश कुमार पुत्र बुधाराम, नाबालिग वली जरिये सरक्षक कुदरती वली माता मधुवाला पत्नी बुधराम 4/3. मधुवाला पत्नी बुधराम 5. कमला पुत्री सोना 6. तेजा पुत्र मोडूराम 7. सांवलाराम पुत्र मोडूराम, जाति मेगवाल, निवासी सीलू, तह. गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर। 8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गुड़ामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 76/2024 (2024/196) बउनवान बाबूलाल बनाम अजा में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री नारायण कुमावंत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई रेस्पों. सं. 1 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—21.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम सीलू, पटवार मण्डल गुड़ामालानी के खसरा संख्या 08 रकबा 3.0432 हेक्टेयर संयुक्त खातेदारी की भूमि

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादगस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट का अपने–अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा–काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में हिस्से अंकित्त हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा–काश्त है। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। ऐसी स्थिति में वादीगण (प्रत्यर्थीगण) वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलांट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 18.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम सीलू, पटवार मण्डल गुड़ामालानी के खसरा संख्या 08 रकबा 3.0432 हेक्टेयर संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादगस्त आराजी में वादी/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट का अपने–अपने हिस्से अनुसार सहकृषक बहैसियत कब्जा–काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में हिस्से अंकित हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा–काश्त है। वर्तमान में वादी व प्रतिवादी के बीच में विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण खेत में हिस्से को लेकर विवाद बना रहता है। ऐसी स्थिति में वादीगण (प्रत्यर्थीगण) वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का रेस्पोंडेन्ट द्वारा वाद पेश किया था। जिस पर अपीलांट को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 18.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, अधीनस्थ न्यायालय का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए जल्दबाजी में मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 2003 आर.आर.डी. 504 श्रीमती चन्दा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित किया है कि Justice hurried is justice buried. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब दावा लिये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 90 दिवस की अवधि में निस्तारित करने का आदेश प्रदान करावें।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय आपीलांट को बिना तामील के पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस कों सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट द्वारा वकील अपीलांट के कंथनों का समर्थन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

(नवनीत कु...)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 76/2024 (2024/196) बउनवान बाबूलाल बनाम अजा में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करतु हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय 90 दिवस में पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर